सत्यमेव जयते

न्यायालय

उपखण्ड अधिकारी/सहायक कलेक्टर राजगढ जिला—अलवर

(पीठासीन अधिकारी सुश्री सीमा मीना आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्या :— 03/85/2025 ऑनलाईन नम्बर:— 2025/417 प्रवेश तिथि:—10.10.2025

1. छुट्टन लाल सैनी पुत्र स्व0 श्री भजन लाल आयु 52 वर्ष जाति माली निवासी ग्राम बास जोहड़ा श्रीनगर तहसील राजगढ जिला अलवर।

..................प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजगढ जिला अलवर।

..............अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र धारा 136 एल0आर0एक्ट0 1956
उपस्थित :1. श्री दीपक जैमन एड0—प्रार्थी
2. तहसीलदार राजगढ

—:निर्णय:— दिनांक:—10/02/2026

1 आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज0 भू—राजस्व अधिनियम बाबत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी की आराजी खाता संख्या 93 खसरा नम्बर 205/0.12 वाके ग्राम श्रीनगर तहसील राजगढ जिला अलवर में अवस्थित है। उक्त आराजी प्रार्थी के कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी है। उक्त आराजी विरासत में प्राप्त हुई थी। जिसमें प्रार्थी का 11/36 हिस्सा का काबिज रिकॉडेड खातेदार काश्तकार है। राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी व प्रार्थी के पिता का नाम **पप्पी पुत्र भजना** दर्ज कर दिया। जबकि प्रार्थी व प्रार्थी के पिता का नाम अन्य रिकार्ड में **छुट्टन लाल पुत्र भजन लाल** दर्ज रिकार्ड है। इसके अतिरिक्त अन्य दस्तावेजो में भी प्रार्थी व प्रार्थी के पिता का नाम **छुट्टन लाल पुत्र भजन लाल** दर्ज है। उक्त गलत इन्द्राज से प्रार्थी के खातेदारी अधिकार नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रहे है। जिसे न्यायहित में दुरूस्त किया जाना अति आवश्यक है। अन्त में प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर प्रार्थी व प्रार्थी के पिता सही नाम **छुट्टन लाल पुत्र भजन लाल** दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण असालतान वकालतान उपस्थित न्यायालय आये। हाजा न्यायालय के पत्रांक क्रमांक कोर्ट/आर.ए./धारा—136/2025/317 दिनांक 10.10.2025 से तहसीलदार राजगढ से रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार राजगढ के पत्रांक क्रमांक/भू.अ./2025/2513 दिनांक 30.12.2025 की मौका जॉच रिपोर्ट प्राप्त हुई जो कि शामिल पत्रावली है। मुताबिक हाल राजस्व रिकार्ड आराजी खाता संख्या 93 खसरा नम्बर 205/0.12 वाके ग्राम श्रीनगर तहसील राजगढ में **प्रार्थी व प्रार्थी के पिता का नाम पप्पी पुत्र भजना** सा0 देह खातेदार दर्ज है। तहसीलदार राजगढ की रिपोर्ट से साबित है कि **छुट्टन लाल पुत्र भजन लाल व पप्पी पुत्र भजना एक ही व्यक्ति है।** जिसका सही **जिनका सही नाम** छुट्टन लाल पुत्र भजन लाल होना बताया गया।

उपखण्ड अधिकारी, राजगढ
जिला—अलवर

3. बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। दौरान–ए–बहस वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये उल्लेख किया कि प्रार्थी की आराजी खाता संख्या 93 खसरा नम्बर 205/0.12 वाके ग्राम श्रीनगर तहसील राजगढ जिला अलवर के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी व प्रार्थी के पिता का नाम सहवन से पप्पी पुत्र भजना गलत दर्ज कर दिया। जिसका सही नाम मुताबिक तहसीलदार राजगढ की रिपोर्ट दिनांक 30.12.2025 छुट्टन लाल पुत्र भजन लाल है। जिसे दुरूस्त करने का निवेदन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजत तहसीलदार राजगढ की रिपोर्ट दिनांक 30.12.2025 व मौका पर्चा पटवारी दिनांक 15.12.2025 व दस्तावेजात आदि का अवलोकन किया। प्रार्थी की ओर उक्तानुसार प्रस्तुत दस्तावेजात व तहसीलदार राजगढ की जॉच रिपोर्ट से भी प्रार्थना पत्र तथ्यो के सही होने की पूर्णरूप से पुष्टि होती है, प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य पाया जाता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 आराजी खाता संख्या 93 खसरा नम्बर 205/0.12 वाके ग्राम श्रीनगर तहसील राजगढ जिला अलवर स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार राजगढ को आदेश दिये जाते है कि वो उक्त आराजी के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी व प्रार्थी के पिता का नाम पप्पी पुत्र भजना दर्ज है उसके स्थान पर छुटटन लाल उर्फ पप्पी पुत्र भजन लाल दुरूस्त किया जावें तथा शेष इन्द्राज यथावत रखा जावे। तहसीलदार राजगढ को निर्णय की एक प्रति पालना हेतु भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 10/02/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पुर्ति जमा लेख भण्डार हो।

(सुश्री सीमा मीना आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ
जिला–अलवर

उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ जिला-अलवर
सत्यमेव जयते